प्रेस नोट दिनांक-15.06.2025

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

– उ0नि0 लखन लाल व बीट आरक्षी अर्जुन यादव व बीट आरक्षी इन्द्रजीत व बीट आरक्षी अजीत यादव की सतर्कता से 25000-25000/- रुपये के 03 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

– थाना कुण्डा के उ0नि0 लखन लाल व बीट आरक्षी अर्जुन यादव व बीट आरक्षी इन्द्रजीत व बीट आरक्षी अजीत यादव ने 25000-25000/- रुपये के गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

– उ0नि0 लखन लाल व बीट आरक्षी अर्जुन यादव व बीट आरक्षी इन्द्रजीत व बीट आरक्षी अजीत यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

– एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कुण्डा के उ0नि0 लखन लाल व बीट आरक्षी अर्जुन यादव व बीट आरक्षी इन्द्रजीत व बीट आरक्षी अजीत यादव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

– थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 25000-25000/- रुपये के 03 अभियुक्तों को उनके घर निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली के पास से गिरफ्तार किया गया

– गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गोवध अधि0 व पशु क्रूरता अधि0 व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ0नि0 लखन लाल व बीट आरक्षी अर्जुन यादव व बीट आरक्षी इन्द्रजीत व बीट आरक्षी अजीत यादव के सहयोग से थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 140/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ में वांछित 25000-25000/- रुपये के 03 अभियुक्तों, 01. इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली, 02. मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली, 03. शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली को अभियुक्तों को उनके के घर निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली।

2- मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली।

3- शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ हाजी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रुरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2- मोहसिन पुत्र इकबाल निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रुरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

3- शौकीन पुत्र इकबाल अंसारी निवासी नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा व थाना कांधला जिला शामली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 248/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रुरता अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 140/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- अभियुक्त को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत जरियारी धनापुर रोड पर बनी झील की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

— अभियुक्त अंकित मिश्रा पर मारपीट, धोखाधड़ी, गैर इरादतन हत्या जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 वहाबुद्दीन, का0 जीयन कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 14.06.2025 को 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त अंकित मिश्रा उर्फ सूर्या पंडित पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी ग्राम मिश्रन का पुरवा उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत जरियारी धनापुर रोड पर बनी झील की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 86/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अंकित मिश्रा उर्फ सूर्या पंडित पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी ग्राम मिश्रन का पुरवा उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>**आपराधिक इतिहास**</u>
अंकित मिश्रा उर्फ सूर्या पण्डित पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा उम्र करीव 26 वर्ष नि०ग्रा० मिश्रन का पुरवा मजरे उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

01- मु0अ0सं0 68/2024 धारा 419/420 भा0द0वि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ

02- मु0अ0सं0 86/2023 धारा 147/323/504/506/325 भा0द0वि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ

03- मु0अ0सं0 86/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ |

04- मु0अ0सं0 68/2023 धारा 279/304A/337/338 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत है। थाना गौरीगंज जनपद अमेठी

बरामदगी-
04 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 वहाबुद्दीन, का0 जीयन कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

– थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 आशु मय हमराह हे0का0 शिवपूजन चौधरी देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान क्रि0के0नं0 17106 / 21 मु0अ0स0 120/2010 धारा 323/325/504/506/427 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 1. राजू उर्फ जय प्रकाश पुत्र रमाशंकर उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम निम्हा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ व क्रि0के0नं0 11056 / 21 मु0अ0स0 14 / 05 धारा 504/506 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 2. श्यामलाल पुत्र भगौतीदीन उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम हथसारा थाना थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजू उर्फ जय प्रकाश पुत्र रमाशंकर उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम निम्हा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
2. श्यामलाल पुत्र भगौतीदीन उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम हथसारा थाना थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 आशु मय हमराह हे0का0 शिवपूजन चौधरी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

– थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मारपीट, हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 05 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

– दिनांक 13.06.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे मोहन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर शाम लगभग 1800 बजे दो पक्षों के मध्य विवाद के चलते गंभीर मारपीट की घटना घटित हुई।

– थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों में विवाद के पश्चात मारपीट की घटना पर 07 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत।

प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत दिनांक 13.06.2025 को शाम 18ः00 बजे ग्राम पुरे मोहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के संबंध में वादी के प्राप्त प्रार्थना पत्र जिसमें मो0 शमीम सुत मो0 नजीर द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि दिनांक 13.06.2025 शाम लगभग 18ः00 उपरोक्त घटनास्थल पर पहले से घात लगाए मो० आमिर मो० चांद सुतगण मो0 यूसुफ व मो0 अशफाक सुत मो० रईस निवासीगण पूरे मोहन छैवा द्वारा प्रार्थी के लड़के को लाठी, डंडा और लोहे के सरिया से जान से मारने की नीयत से सर पर प्रहार किया गया। जिससे सर फट गया तथा प्रार्थी का लड़का बेहोश हो गया । प्रार्थी मो0 यूसुफ पुत्र मो0 इस्माइल द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि प्रार्थी का लड़का मो० आमिर सामान लेने दुकान गया था कि शादाब, फिरोज सुतगढ़ मो0 शमीम, रेहान सुत फिरोज व जीशान सुत अख्तर निवासीगढ़ पूरे मोहन आए और हाथ में लाठी, डंडा, राड व चाकू लेकर जान से मार डालने की नीयत से हमलावर हो गए। प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0स0 141 /2025 धारा 115(2), 109(1), 131, 191(2), 191(3), 190, बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट बनाम 07 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह उ0नि0 भोलानाथ, का0 विजय बघेल, का0 विकास जायसवाल, का0 रवि प्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व विवेचना के दौरान 05 अभियुक्त 1. मो0 आमिर पुत्र मो0 यूसुफ उम्र 27 वर्ष 2. मो0 चांद पुत्र मो0 यूसुफ उम्र 47 वर्ष 3. मो0 अशफाक पुत्र मो0 रईश उम्र 23 वर्ष, 4. फिरोज पुत्र मो शमीम उम्र 48 वष 5. रेहान पुत्र फिरोज उम्र 19 वर्ष निवासीगण पूरे मोहन थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पूरे मोहन से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 आमिर पुत्र मो0 यूसुफ उम्र 27 वर्ष
2. मो0 चांद पुत्र मो0 यूसुफ उम्र 47 वर्ष
3. मो0 अशफाक पुत्र मो0 रईश उम्र 23 वर्ष,
4. फिरोज पुत्र मो शमीम उम्र 48 वर्ष
5. रेहान पुत्र फिरोज उम्र 19 वर्ष निवासीगण पूरे मोहन थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह उ0नि0 भोलानाथ, का0 विजय बघेल, का0 विकास जायसवाल, का0 रवि प्रकाश थाना कोवताली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

— पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

— हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

— थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गौरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 05.06.2025 को ग्राम नन्दा का पुरवा, थाना जेठवारा में वादिनी की सास खेत में पानी लगायी थी। इसी बीच वादिनी के गांव के ही हेमन्त पटेल पुत्र रामसजीवन पटेल, संदीप पटेल पुत्र रामसजीवन पटेल, प्रभाकर पटेल पुत्र संदीप पटेल, रामसजीवन पटेल पुत्र महादेव पटेल मिलकर एकराय होकर लाठी डन्डा, फावडा, धारदार हथियार इत्यादि लेकर आये तथा वादिनी की सास व पुत्री को गाली- गलौज करते हुए जान से मार डालने की नीयत से धारदार हथियार फावडे व लाठी डन्डे से सिर पर मारने पीटने लगे जिससे गंभीर रुप से घायल हो गये थे। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 मु0अ0सं0-127/25 धारा 115 (2), 352,351 (3), 109 BNS बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मय हमराह हे० का ० हेमन्त यादव, का0 राजीव यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-127/25 धारा 115 (2), 352,351 (3), 109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त, संदीप कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम नन्दा का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष को थानाक्षेत्र जेठवारा के गौरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- संदीप कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम नन्दा का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मय हमराह हे० का ० हेमन्त यादव, का0 राजीव यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ

- जनपद में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश - 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद
- पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर वाहन चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई।
- गिरफ्तार 02 अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत महदहा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया है।
- अभियुक्तों से कुल 01 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई।
- अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पट्टी पर BNS की धारा 317(2)/317(4)/317(5)/336(2) में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 बैकुण्ठनाथ पाण्डेय, उ0नि0 रोहत यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 कृष्ण बिहारी राय, का0 हरिकेश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों, 1. शशिकान्त मिश्रा उर्फ नन्हे मिश्रा पुत्र स्व0 राजबहादुर निवासी ग्राम सौरई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 48 वर्ष, 2. सतेन्द्र पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम दीपापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ व स्थायी पता शाहपुर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष को 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो DELUX के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत महदहा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0176/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/336(2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शशिकान्त मिश्रा उर्फ नन्हे मिश्रा पुत्र स्व0 राजबहादुर निवासी ग्राम सौरई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 48 वर्ष।

2. सतेन्द्र पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम दीपापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ व स्थायी पता शाहपुर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल हीरो DELUX बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बैकुण्ठनाथ पाण्डेय, उ0नि0 रोहत यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 कृष्ण बिहारी राय, का0 हरिकेश पाल थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

— बीट आरक्षी हरेन्द्र सिंह की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

— थाना मानिकपुर के बीट आरक्षी हरेन्द्र सिंह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

— बीट आरक्षी हरेन्द्र सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

— एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मानिकपुर के बीट आरक्षी हरेन्द्र सिंह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

— थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत देशराज के इंदारा मोड़ गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

— गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त डकैती, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट, धमकी जैसे कुल 03 संगीन अपराधों में अभ्यस्त

— जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी हरेन्द्र सिंह के सहयोग से थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 112/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ में वांछित 01 सत्यम पाण्डेय पुत्र राकेश कुमार उर्फ मुन्ना पाण्डेय निवासी बरई दुखछोर का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 15.06.2025 को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत देशराज के इंदारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

3- अभियुक्त सत्यम पाण्डेय पुत्र राकेश कुमार उर्फ मुन्ना पाण्डेय निवासी बरई दुखछोर का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 433/22 धारा 147/323/504 भादवि थाना कुण्डा ,प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 195/24 धारा 310(2)बीएनएस थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 112/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह अधिनियम थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

— प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

— थाना लालगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

— थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के रायपुर तियाई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह का0 यतेन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 376 (2)एन/313/506 आईपीसी से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, मो0 सोहराव पुत्र नाजिम निवासीग्राम बछवल थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थानाक्षेत्र के रायपुर तियाई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 सोहराव पुत्र नाजिम निवासीग्राम बछवल थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह का0 यतेन्द्र थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

— चोरी की घटना का खुलासा — लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 01 अपराधी गिरफ्तार, 01 अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो0 बरामद

— पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

— थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र नगर नहर पटरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2025 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शीतमनऊ में वादी अपनी मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा किया था। कुछ समय बाद मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 219/2025 धारा 303 (2) बीएनएस का अभयोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व नें उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां० नीरज कुमार, कां0 छत्रपाल, कां0 राहुल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2025 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, शिवम वर्मा पुत्र स्व0 धनराज वर्मा नि०ग्राम गेहरी, सगरा सुन्दरपुर, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थानाक्षेत्र लालगंज के राजेन्द्र नगर नहर पटरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो० ब्लैक कलर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटर साइकिल कस्बा लालगंज से चोरी किया था। आज इस मोटरसाइकिल को लेकर अपने घर जा रहा था कि अचानक आप लोगो को देखकर मुड़कर भागना चाहा कि फिसल कर गिर गया और आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवम वर्मा पुत्र स्व0 धनराज वर्मा नि०ग्राम गेहरी, सगरा सुन्दरपुर, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो० ब्लैक कलर बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां० नीरज कुमार, कां0 छत्रपाल, कां0 राहुल यादव थाना लालगंज, प्रतापगढ़।